राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 4708/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
दिनेश जैन ग्राम पोस्ट रेणी तहसील राजगढ़ अलवर अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक डब्लू एस एस ओ, झालाना डूंगरी जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धर्मेन्द्र कुमावत, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 03-08-2016 के द्वारा वर्ष 2015-16 व 2016-17 में खरीदे गये लेपटोप व कम्प्यूटर के बाबत 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने आवेदन मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) को पेश किया था जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत दिनांक 11-08-2016 को निदेशक डब्ल्यू एस एस ओ कार्यालय को अन्तरित किया गया। अपीलार्थी को आवेदन के अनुसार वांछित सूचना मय दस्तावेजों के संलग्न कर पत्र दिनांक 24-10-2016 द्वारा प्रेषित की गई है। पुनः सूचना द्वितीय अपील के नोटिस के बाद पत्र दिनांक 27-03-2018 से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 25-10-2016 से अपील खारिज की जाकर सूचना को प्रदत्त माना गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ अपीलार्थी को प्रेषित किये गये अभिलेख की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त